

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरवठु अधिकारी मुकाम टोडामीम व

इजलास पीठ सीन अधिकारी जगदीश आर्य R.S

उजवान

महरी पुत्र शिवचरण

हब सिंह पुत्र शिवचरण

विदेवी पति साहब सिंह

श्री पति राम हरि

नासिंह पुत्र बलबीर

गुजर निवासी - ब्यासिका

तिघरिया तह

टोडामीम

स्थायी निसे धाबा

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई

० मेवारास ३ श्रीमान ३

उदयमान ५ रामराज पिठ

हरबीर ५ गजराज पुत्र

जगन जाति गुजर निवासी

तिघरिया तहसील - टोडामीम

बनाम

मुकदमा नं० 98 सन् 2012

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निव.

व हाजिरी

मिनकानिब गुदई रूबरु हमारे

व मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा दादागण खिलफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी

गण को स्थायी निसे धाबा से पाबन्द किया जाता है कि

ग्राम पीलवा को भूमि ज्व. नं. 1666, 1667, 1668, 1658, 1669

1657/3033, 1671, 1684, 1685, 1659, 1634, 1656 में किसी भी

प्रकार की सजा हुकम मदारवलत नहीं करे। वादी को वास्तु

मलेन से नहीं रोके, दादागण को बेइस्फाल कर कलजा नहीं करे।

दादागण को शांतिपूर्वक वास्तु करमे देने। आराजी को नाकामिल

वास्तु नहीं बनावे।

मुबलिंग

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

06

माह

8

सन्

2015

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उप जिला कलेक्टर

ओहदा टोडामीम (करीबी)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
मौ दाबा			स्टाम्प अर्जी दावा		
अलत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
डान			फीस कमिशनर		
खनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
राय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर जो एडिशनल या नये डिक्री के 1000